बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 226/2018

सहायक सचिव के पद पर सेवानिवृत/सेवारत (प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित) /संविदा आधारित नियोजन हेतु वाक–इन–इन्टरव्यू की सूचना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना में सहायक सचिव के पद पर सेवानिवृत / सेवारत पदाधिकारी (प्रतिनियुक्ति द्वारा) को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु **दिनांक 22.09.2018 को 11.00 बजे** पूर्वाह्न से समिति मुख्यालय, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना–800017 में आयोजित **Walk-in-interview** हेतु आमंत्रित किया गया हैः–

पद का नाम	पद की संख्या	आरक्षण कोटि	वांछित अनुभव / अर्हता	मानदेय
1. सहायक सचिव	01	सेवानिवृत पदाधिकारियों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण श्रेणी मान्य होगा, किन्तु प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत पदाधिकारियों के लिए आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा। अर्थात प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी भी आरक्षण श्रेणी के पदाधिकारी योग्य होंगे।	राज्य सरकार / केन्द्र सरकार में सदृश्य पद पर सेवारत पदाधिकारी (प्रतिनियुक्ति द्वारा) **अथवा** राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से **अथवा** राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के किसी संस्थान के सेवानिवृत पदाधिकारी।	सेवारत पदाधिकारियों के मामले में उनके अपने पैतृक विभाग में प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर वेतन का भुगतान किया जायेगा। सेवानिवृत पदाधिकारियों के मामले में मानदेय के रूप में उनका अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि देय होगी।

2. उपर्युक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक प्रभाग), सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना–800017 में **दिनांक 22.09.2018 को 11.00 बजे** पूर्वाह्न से वॉक–इन–इन्टरव्यू (**Walk-in-interview**) में अपना बायो–डाटा / आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित हों।
3. अभ्यर्थी वॉक–इन–इन्टरव्यू (**Walk-in-interview**) में अपना बायो–डाटा / आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित हों।
4. अनुबंध की अवधि प्रथम बार 11 (ग्यारह) माह की होगी। तत्पश्चात् सेवा संतोषप्रद होने पर एवं आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा।
5. सेवानिवृत अभ्यर्थियों के लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी।
6. आवेदन पत्र का प्रारूप, अनुभव, अर्हता एवं अन्य जानकारियाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विभागीय वेबसाइट **http://biharboardonline.bihar.gov.in** एवं **http://biharboardonline.com** से प्राप्त की जा सकती है।
7. उपर्युक्त पद पर प्रतिनियुक्ति द्वारा आने के लिए इच्छुक भारत सरकार / राज्य सरकार में सेवारत पदाधिकारी को उनके पैतृक विभाग में देय वेतन का भुगतान समिति द्वारा देय होगा।
8. सेवारत पदाधिकारी (जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजित होंगे) के मामले में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।

सचिव